12/3/24 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. अप्रार्थीगण की तलबी पुनः जरिए रजिस्ट्री एडी के जारी होकर पत्रावली दिनांक 25/4/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

25/4/24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थीगण को सम्मन जरिए डाक के भेजे एक माह से अधिक का समय हो चुका है। सम्मन अदम तामिल लौटकर प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः तामिल सम्यक् मानी जाती है।

सम्यक् तामील के उपरान्त अप्रार्थीगण हाजिर नहीं आए अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रा. पत्र व वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार हैं एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।

अतः वाद की बहुलता को ~~बनाए रखने~~ रोकने एवं वाद की विषय वस्तु को बनाए रखने हेतु उभयपक्षों को ख. नं. 162/4 रकबा 0.02 है. पर मौके एवं ~~रिकॉर्ड~~ रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर रेकर्ड हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner